# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 01 / 2018

हरपाल उर्फ हजारीलाल उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री सूरजाराम जाति अहीर निवासी सांतड़िया, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम हरपाल अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 135 / 2017 निर्णय दिनांक 20.12.2017

उपस्थितिः—

1 .श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट ——— ——— ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 25.07.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.12.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हरपाल मु0नं0 135 / 2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—पटवारी हल्का खानपुर ने संवत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सातड़िया की राजकीय भूमि गैर मु0 जोहड़ खसरा नंबर 347 / 1 कुल रकबा 15.86 हैक्टर किस्म गै.मु. जोहड़ में से 150 वर्ग फीट भूमि पर पत्थर व मलबा डालकर अनाधिकृत अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर बिना अपीलांट को सुनवाई के ही अतिक्रमी घोषित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतिक्रमण काफी पुराना है और वास्तविक रूप से मौके पर जमीन जेर बहस गैर मु0 जोहड़ के काम में नहीं आ रही है और ना ही कभी गै0मु. जोहड़ व चारागाह के काम में आयी है। मौके पर करीब 300 परिवार तथाकथित भूमि पर मकानात बनाकर रह रहे हैं। अदालत मातहत ने केवल मात्र राजस्व रिकार्ड व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अपीलांट ने आगे कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में भी दिनांक 15.5.2013 को तहसीलदार बुहाना द्वारा तथाकथित भूमि के संबंध में अतिक्रमण की कार्यवाही की गई थी जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई थी जो अपीलं दिनाक 27कृ01.2014 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई थी,परन्तु अधीनस्थ न्यायालयने पुनः प्रार्थी को बिना सुने ही एवं बिना जवाबदेही के यह आलोच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 20.12.2017 खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः--अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की विधिवत रूप से तामिल नहीं हुई । अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतिक्रमण काफी पुराना है और वास्तविक रूप से मौके पर जमीन जेर बहस गैर मु0 जोहड़ के काम में नहीं आ रही है और ना ही कभी गै0मु. जोहड़ व चारागाह के काम में आयी है। मौके पर करीब 300 परिवार तथाकथित भूमि पर मकानात बनाकर रह रहे हैं। अदालत मातहत ने केवल मात्र राजस्व रिकार्ड व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 20.12.2017 खारिज किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम सातड़िया के खसरा नंबर 347/1 किस्म गैर मु0जोहड़ में से 150 वर्ग फीट भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थर आदि डालकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी खानपुर की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 347/1 की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। जोहड़ की भूमि नियमन योग्य नहीं है। फर्द मौका बेदखली दिनांक 22.12.2017 के अनुसार अपीलांट को उक्त भूमि से भौतिक रूप से कब्जा हटाया जाकर बेदखल किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 20.12.2017 की कियान्विति हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू